अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515007890535

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर–खीरी, मिर्जापुर, बस्ती, बरेली, पीलीभीत इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, सम्भल, बिजनौर, तथा झांसी।

संख्याः 1/शा0/159/2013–1/322/2013 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2013

विषयः डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड, के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–239/26–ब0प्र0–2013–100(21)/2012 दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा अनुदान संख्या–83 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड, के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 5000.00 लाख (₹ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से ₹ 1465.117 लाख (₹ चौदह करोड़ पैसठ लाख ग्यारह हजार सात सौ मात्र) की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख कालम संख्या–10 में अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2012–13 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0– बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09.07.2012 तथा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या– 83 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायगा।

6– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा–निदेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

7— सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को दिनांक 31—03—2013 तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

11— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2012—13 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 31—03—2013 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—19 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/159/1/2013 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
6— सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
9— उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

CC Road 14 -83 Allotment

पचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/159/2013–1/322/2013 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2013

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या–83

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपद को पूर्व में दी गयी धनराशि जिन ग्रामों में कुल एस0सी0/एस0 टी0 की आबादी 40 प्रतिशत या उससे अधिक है	कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में की गई मांग का प्रस्ताव							कोषागार का प्रगामी योग
			लाभांवित होने वाले ग्रामों की संख्या	लाभांवित होने वाले ग्रामों की कुल आवश्यकता	लाभांवित होने वाले ग्रामों के सापेक्ष पूर्व से अवमुक्त कुल धनराशि	जनपद की अवशेष मांग	अधिष्ठान अंश स्तम्भ 5 का 6.875 प्रतिशत प्रस्तावित धनराशि	सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्यांश) (7–8)	आवंटन हेतु कुल धनराशि (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लखनऊ	70.000	7	77.810	0.000	77.810	5.349	72.461	77.810	**147.810**
2	हरदोई	200.000	13	159.930	0.000	159.930	10.995	148.935	159.930	**359.930**
3	सीतापुर	190.000	21	173.400	0.000	173.400	11.921	161.479	173.400	**363.400**
4	खीरी	20.000	21	170.330	0.000	170.330	11.710	158.620	170.330	**190.330**
5	मिर्जापुर	60.000	11	118.580	0.000	118.580	8.152	110.428	118.580	**178.580**
6	बस्ती	20.000	17	88.490	0.000	88.490	6.084	82.406	88.490	**108.490**
7	बरेली	40.000	3	20.981	0.000	20.981	1.442	19.539	20.981	**60.981**
8	पीलीभीत	0.000	5	31.490	0.000	31.490	2.165	29.324	31.489	**31.489**
9	इलाहाबाद	50.000	9	54.620	0.000	54.620	3.755	50.865	54.620	**104.620**
10	कौशाम्बी	120.000	10	48.650	0.000	48.650	3.345	45.305	48.650	**168.650**
11	फतेहपुर	100.000	11	150.677	0.000	150.677	10.359	140.318	150.677	**250.677**
12	बाराबंकी	60.000	21	184.100	0.000	184.100	12.657	171.443	184.100	**244.100**
13	मुरादाबाद	0.000	1	10.209	0.000	10.209	0.702	9.507	10.209	**10.209**
14	संभल	0.000	1	30.000	0.000	30.000	2.063	27.938	30.001	**30.001**
15	बिजनौर	20.000	3	27.940	0.000	27.940	1.921	26.019	27.940	**47.940**
16	झांसी	50.000	14	117.910	0.000	117.910	8.106	109.804	117.910	**167.910**
	कुल योग	**1000.000**	**168**	**1465.117**	**0.000**	**1465.117**	**100.726**	**1364.391**	**1465.117**	

(रूपया चौदह करोड़ पैंसठ लाख ग्यारह हजार सात सौ मात्र)

नोट–: कॉलम संख्या–8 में अधिष्ठान व्यय की धनराशि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।